

210




R-403-I-2015

समक्ष माननीय राजस्व बोर्ड ग्वालियर म.प्र.

निगरानी प्रकरण क्रमांक 403-I/2015

आवेदकगण

1. देवी सिंह पिता स्व.रामसिंह ठाकुर,
2. मदन सिंह पिता स्व.राम सिंह ठाकुर,
हाल निवासी-मं. नं. 436, सिंधी कॉलोनी,
दीक्षितपुरा, जबलपुर म.प्र.
3. जगत सिंह पिता स्व.रामसिंह ठाकुर,
हाल निवासी-आई.टी.आई.रोड, आकाशवाणी
के पीछे, आकाश विहार, चन्द्रशेखर गार्डन,
विजय नगर, जबलपुर म.प्र.
4. नारायण सिंह पिता स्व.रामसिंह ठाकुर
5. नेकनारायण सिंह पिता स्व.रामसिंह ठाकुर
सभी निवासी-ग्राम मुडिया, तहसील पाटन,
जिला जबलपुर, म.प्र.



479

जबलपुर
प्र. प्र. 19/2/15

विरुद्ध

अनावेदकगण

1. ग्रामवासी मुडिया तहसील पाटन, जिला
जबलपुर म.प्र.
2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर, जिला
जबलपुर म.प्र.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता

आवेदकगण यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 23/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 24.12.2014 से प्रतिवेदित होकर प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रतिवेदित आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 5 म्याद अधिनियम के निराकरण के बिना ही एवं आवेदकगणों को सुने बिना अंतर्गत आदेश पारित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य


1. यह कि, आवेदकगण ग्राम मुडिया तहसील पाटन, जिला जबलपुर के स्थायी निवासी हैं।
2. यह कि, ग्राम मुडिया के खसरा क्रमांक 50, 91, 92, 190, एवं 202, (कुल रकबा 12.12 हेक्टेयर) आवेदकगणों की निजी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-403-एक/15

जिला - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आदित्य शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p><u>आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर</u></p>	